न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रियंका जोधावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 48/2015 (बांसवाड़ा डिक्री)

1. कालिया आत्मज श्री केसिया, जाति भील, निवासी डिण्डोरिया, पटवार क्षेत्र जगपुरा, तहसील गनोड़ा, जिला बांसवाड़ा (राज.)
2. स्वर्गीय जीवा आत्मज श्री भेरिया, जाति भील, निवासी डिण्डोरिया, पटवार क्षेत्र जगपुरा, तहसील गनोड़ा, जिला बांसवाड़ा (राज.) के वारिसान :–

2/1.ईश्वरलाल आत्मज श्री जीवा, जाति भील, निवासी डिण्डोरिया, पटवार क्षेत्र जगपुरा, तहसील गनोड़ा, जिला बांसवाड़ा (राज.)

2/2.रणछोड़लाल आत्मज श्री जीवा, जाति भील, निवासी डिण्डोरिया, पटवार क्षेत्र जगपुरा, तहसील गनोड़ा, जिला बांसवाड़ा (राज.)

2/3.मणीया आत्मज श्री जीवा, जाति भील, निवासी डिण्डोरिया, पटवार क्षेत्र जगपुरा, तहसील गनोड़ा, जिला बांसवाड़ा (राज.)

2/4.श्रीमती केसरी पत्नी श्री जीवा, जाति भील, निवासी डिण्डोरिया, पटवार क्षेत्र जगपुरा, तहसील गनोड़ा, जिला बांसवाड़ा (राज.)

2/5.श्रीमती लाली पत्नी श्री जीवा, जाति भील, निवासी डिण्डोरिया, पटवार क्षेत्र जगपुरा, तहसील गनोड़ा, जिला बांसवाड़ा (राज.)

3. गोतिया आत्मज श्री जगला, जाति भील, निवासी डिण्डोरिया, पटवार क्षेत्र जगपुरा, तहसील गनोड़ा, जिला बांसवाड़ा (राज.)
4. मानिया आत्मज श्री जगला, जाति भील, निवासी डिण्डोरिया, पटवार क्षेत्र जगपुरा, तहसील गनोड़ा, जिला बांसवाड़ा (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. नरूवा आत्मज श्री गौतम, जाति भील, निवासी डिण्डोरिया, पटवार क्षेत्र जगपुरा, तहसील गनोड़ा, जिला बांसवाड़ा (राज.)
2. हकरिया आत्मज श्री गौतम, जाति भील, निवासी डिण्डोरिया, पटवार क्षेत्र जगपुरा, तहसील गनोड़ा, जिला बांसवाड़ा (राज.)
3. मोहन आत्मज श्री वालिया, जाति भील, निवासी डिण्डोरिया, पटवार क्षेत्र जगपुरा, तहसील गनोड़ा, जिला बांसवाड़ा (राज.)
4. प्रकाश आत्मज श्री वालिया, जाति भील, निवासी डिण्डोरिया, पटवार क्षेत्र जगपुरा, तहसील गनोड़ा, जिला बांसवाड़ा (राज.)

5. हुरजी आत्मज श्री नाथीया, जाति भील, निवासी डिण्डोरिया, पटवार क्षेत्र जगपुरा, तहसील गनोड़ा, जिला बांसवाड़ा (राज.)
6. कमला आत्मज श्री नाथीया, जाति भील, निवासी डिण्डोरिया, पटवार क्षेत्र जगपुरा, तहसील गनोड़ा, जिला बांसवाड़ा (राज.)
7. वागा आत्मज श्री नाथीया, जाति भील, निवासी डिण्डोरिया, पटवार क्षेत्र जगपुरा, तहसील गनोड़ा, जिला बांसवाड़ा (राज.)
8. भोगा आत्मज श्री नाथीया, जाति भील, निवासी डिण्डोरिया, पटवार क्षेत्र जगपुरा, तहसील गनोड़ा, जिला बांसवाड़ा (राज.)
9. भूमिधारी तहसीलदार, गनोड़ा, जिला बांसवाड़ा (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त0 अधि0 – 1955 विरूद्ध निर्णय
व डिक्री उपखण्ड अधिकारी, घाटोल
दिनांक 07–04–2014 प्र.सं. 63/13

———/———

उपस्थित(वक्तबहस)1– श्री भगवत पुरी अभिभाशक अपीलान्टगण
2– श्री जयेन्द्र पुरोहित अभि.रे.सं. 1 से 3, 5 से 8
3– पैरोकार सरकार अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट सं. 9

———::———

निर्णय दिनांक

13–05–2019

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्टगण द्वारा अपीलान्टगण व सरकार के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण संख्या 1 से 6 के पूर्वज स्वर्गीय श्री भीमजी पुत्र कोदर जी थे, जिनके दो पुत्र नाथीया व भेरिया हुए। नाथीया के वारिस वादीगण तथा भेरिया के वारिस प्रतिवादीगण हैं। वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पैत्रृक खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 613 के हाल आराजी नंबर 252, 253, 255, 260 कुल किता 4 रकबा 1.50 हैक्टर बने, जिसमें वादीगण का 1/2 एवं प्रतिवादीगण का 1/2 हिस्सा है। प्रतिवादीगण वादीगण को विवादित भूमि से भाग जाने को कहते हैं

तथा लड़ाई–झगड़ा करते हैं। अतः वादीगण को विवादित भूमि के 1/2 हिस्से का सहखातेदार घोषित किया जावे।

प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादीगण के अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए वादीगण की एकपक्षीय बहस सुनने के बाद पेश शुदा साक्ष्य सबूतों के आधार पर दिनांक 07–04–2014 को निर्णय पारित करते हुए वादीगण का वाद स्वीकार कर विवादित भूमि के 1/2 हिस्से का सहखातेदार घोषित किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण/प्रतिवादीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 09–10–2015 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रेस्पोन्डेन्टगण ने अतिक्रमण करने का प्रयास किया तथा कोर्ट का फैसला अपने हक में बताते हुए जमीन हड़पने की धमकी दी, तब उक्त निर्णय की जानकारी हुई। जानकारी होते ही अविलम्ब अपील प्रस्तुत कर दी है। जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। देरी का पर्याप्त कारण है। ताईद में शपथ पत्र भी पेश किया।

हमने उक्त आवेदन का अवलोकन कर पत्रावली का मनन किया तो यह पाया कि प्रारम्भिक डिक्री अपीलान्ट/प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति में जारी की गयी है। अतः प्रकरण के गुणावगुण के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 व 5 से 8 की ओर से वकील श्री जयेन्द्र पुरोहित उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 9 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए, जबकि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में लिखित तथ्यों को ही पुनः दोहराया एवं मुख्य रूप से यह उजर लिया कि

अधिनस्थ न्यायालय ने एकपक्षीय निर्णय पारित किया है तथा मृत पक्षकारों के विरूद्ध डिक्री जारी कर दी गयी है तथा मृतक के वारिसान के कायम मुकाम नहीं करवाये गये हैं, जो त्रुटि पूर्ण है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे तथा प्रकरण पुनः अपीलान्टगण को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए अनिवीक्षा हेतु अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को विधि सम्मत बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं रेकार्ड का अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया तो पाया कि अपीलान्टगण/ प्रतिवादीगण अधिनस्थ न्यायालय में बावजूद तामिल के अनुपस्थित रहें हैं तथा जिस लालकी को वह मृत बताकर मृतक के खिलाफ निर्णय होना बता रहे हैं, उसके सम्मन पर स्वयं लालकी की अंगूठा निशानी है। अपीलान्टगण को पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद भो उनके द्वारा कोई जवाबदावा प्रस्तुत नहीं किया गया न ही किसी प्रकार की साक्ष्य प्रस्तुत की, जबकि प्रतिवादीगण की ओर से पूर्व में इनके अधिवक्ता उपस्थित रहे हैं, परन्तु बाद में कई अवसर दिये जाने के बावजूद भी अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्टगण/प्रतिवादीगण तथा उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहें हैं। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय ने पेश शुदा साक्ष्य, सबूतों के आधार पर रेस्पोन्डेन्ट/वादीगण को विवादित भूमि के 1/2 हिस्से का सहखातेदार घोषित किया है, जिसमें हम प्रथम दृष्टया किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 07–04–2014 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविश्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 13–05–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील
अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....भू॰प्र॰अ॰ एवं पदेन रा॰अ॰अ॰.....मुकाम..... उदयपुर.....

व इजलास ..... प्रियंका जोधावत, आर॰ए॰एस॰ ....

कालिया आत्मज श्री केसिया भील बनाम नरूवा आत्मज श्री गौतम भील, निवासी डिण्डोरिया, प.क्षे. जगपुरा, नि0 डिण्डोरिया, प.क्षे. जगपुरा,
तह. गनोड़ा, जि. बांसवाड़ा व अन्य त. गनोड़ा, जि. बांसवाड़ा व अन्य

अपील नं॰.....48 / 2015.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....उपखण्ड अधिकारी.....
.....घाटोल..... मुकाम.....मुवर्खे.....07.....माह..... 04.....2014

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....13....माह.....05.....सन् 2019 रूबरू.... पक्षकारान...
व हाजरी...श्री भगवती पुरी ....मिनजानिब अपीलान्ट व ..... श्री जयेन्द्र पुरोहित

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 07–04–2014 यथावत रखी जाती है।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....X.....).....रूपये .... X.....
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... X ..... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....13.....माह.....05..... 2019
को जारी किया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0

1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा .. .. 4. वकील फीस बाबत .... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी .... 3. इजराय हुक्मनामा . .... 4. मेहनताना वकील..... ..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये
दिलाया गया हो।